

20-6-23



LA I
रजि. प्र.
I.D. By
Amal

पहावली आज विद्रो प्र. पत्र पेश होने पर दोबो सी पहावली
के साथ तबख सी गई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी अखण्ड।
क्षम दावा विद्रो होने के कारण वकील प्रार्थी ने प्र. पत्र
अस्पष्टि निषेधाज्ञा का विद्रो हेतु कहे जाने पर प्र. पत्र
अस्पष्टि निषेधाज्ञा का विद्रो (आरिज) किया जाता है। प्र. पत्र
अस्पष्टि निषेधाज्ञा का विद्रो हो जाने के कारण न्यायालय
का पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 6/1/23 का प्रभावहीन हो
गया। पहावली वाद लुमील शामिल स्थिर हो

अमल
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चण्डीपुर (जयपुर)

पहावली वाद लुमील शामिल स्थिर हो